तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	दीवानी प्रकरण 38/2018
8-6-18 पढ़ा गया	पंजाबी समाज लोक अदालत कैम्प कोटा जौंकड़ में पेश हुई। पंजाबी सिंह पंजाबी उपस्थित। इनका अवलोकन किया गया। कैम्प कोर्ट में उपस्थित पक्षकारों को सुना गया। यह प्रकरण वर्षों से लम्बित चल रहा है। इस प्रकरण के वादोत्तर दावा प्रतिवादित्र पत्रावलि पर उपलब्ध है। इसके पक्ष में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अर्थात् दीवानी स्थायी लोक अदालत को कोई पर्याप्त आधार नहीं होने के कारण प्रकरण में दीवानी कार्यवाही पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण के कारण कुमार देवा नम्बर से कम है तथा बाद नामित प्रतिवादी लेख मण्डल है एवं मूल्य बाद के कारण है। निर्णय सम्मत लोक अदालत कैम्प कोर्ट जौंकड़ के समक्ष आज दिनांक को खुला सुनाया गया।

कार्यपालक अभियन्ता
कोटा